Coal Prices

75. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the Department of coal have decided to increase the coal prices, if so, what is the hike to be imposed upon and what is the increased quantum of revenue expected and also the revenue earned from coal during last three years;

(b) what are the reasons for proposed jump in coal prices;

(c) whether Government are aware of the mafia gang operating in cool fields areas and grabbing coal illegally;

(d) what is the estimated quantum of theft of coal by gangs; and

(e) how many times price hikes of cool took place during the last decades?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDAR): (a) Government is yet to take a decision on the proposal submitted by the Coal Companies for increase of coal prices.

The prices of coal produced by Coal India Limited (CIL) and Singareni Collieries Company Limited (SCCL) based on the indices of June, 1988 and January 1989 were revised last with effect from 1-1-1989 and 24-1-1989 respectively. Since then there has been substantial increase in the cost of production due to increase in the cost of inputs like wages on account of National Coal Wage Agreement IV. Variable Dearness Allowance, Eixplosive, POL, rate of interest. Therefore CIL and SCCL have submitted proposals for increasing the prices of coal produced by them.

(c) Government is not aware of any large scale illegal mining or pilferage of coal in coalfield areas. Any such cases, as and when detected are reported to local police authorities for taking action according to law.

(d) For reasons indicated in reply to part (c) above it is not possible to estimate the quantum of theft Of coal coalfields.

(e) Coal prices have been revised nine times since nationalisation of Coal Industry.

Additional funds for power projects

76. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether his mitrbtry has asked the Planning Commission to allocate additional funds for power projects, including the thrust areas of transmission and distribution;

(b) if so, whether the Planning Commission has agreed to allocate more funds; and

(c) if so, what are the details of the funds sought and the reaction of the Planning Commission thereto?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) IN THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) Adequate funds have been sought for the power programme in the 8th Plan including the areas of transmission and distribution. The Eighth Plan is yet to be finalised.

विद्युत क्षेत्र द्वारा उपयोग न किया गया अनुदान

77. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1991 के "टेलीग्राफ" में "रूपीज 650 करोड़ अन्यूज्ड बाई पावर सैक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप प्रभावित हुई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आवंटित राशि का उपयोग न कर पाने के कारणों की गहन जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाये गये हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या कार्य-प्रणाली में किसी दोष के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई और यदि हां, तो उसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) राज्य क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम समेत विद्युत विभाग हेतु 1990-91 के दौरान 4756.96 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की अपेक्षा वास्तविक रूप से 4427.97 करोड़ रुपये की राशि का समुपोजन किया गया । इस प्रकार 328.99 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका । नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, सम्बद्ध पारेषण लाइनों समेत कथलगुड़ी गैस आधारित परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, मैथान धाया तट ताप विद्युत परियोजना, फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना-3 और दादरी गैस आधारित परियोजना ऐसी प्रमुख परियोजनायें/स्कीमें हैं जिन पर आबटन से कम खर्च किया गया ।

निधियों के समुपयोजन में कमी का कारण, उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, परियोजना सम्बन्धी निवेशों की अनुपलब्धता, देश के भागों में कानून एंव व्यवस्था की असामान्य स्थिति होना और कानूनी दृष्टि से स्वीकृति में विलम्ब होना आदि हैं । सम्पूर्ण निधियों का समुपयोजन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आवधिक रूप से समीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ।

दिल्ली में संचरण और वितरण में बिजली की हानि

78. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में संचरण और वितरण में बिजली की अनुमानतः 21% हानि हो जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस हानि के औचित्य के कारणों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा देश के अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया में होने वाली हानि के आंकड़े भी एकत्र किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में इस प्रक्रिया में होने वाली हानि का औसत क्या है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली में पारेषण एंव वितरण हानियां 21.5% थीं ।

(ख) और (ग) पारेषण और वितरण हानियों के लिए, प्रणाली में उपयोग किए गए कण्डक्टरों एंव उपस्कर में ऊर्जा का क्षरण जैसे तकनीकी घटक और दोषयुक्त मीटर, मीटर पठन सम्बन्धी गलतियां एव ऊर्जा की चोरी जैसे वाणिज्यिक घटक उत्तरदायी हैं । विभिन्न राज्यों में